RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc. Interim Bail Application No. 2268/2026

Rajkumar Alias Pappu S/o Hema Ram Jat, Aged About 31 Years, Resident Of Paldi Vyasan, Police Station Khinvsar, District Nagaur Rajasthan.
(Lodged In Dist. Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री चित्रांश जोशी
For Respondent(s)	:	श्री समीर पारीक, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

13/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अंतरिम जमानत हेतु यह अंतरिम जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना– आसींद, जिला– भीलवाडा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**93/2025,** अपराध अन्तर्गत **धारा 8/18 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका कथन है कि प्रार्थी की माता पेट की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है इसलिए उनका इलाज करवाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अंतरिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनके द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की माता का चिकित्सीय

परीक्षण किया गया। चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार प्रार्थी की माता के कोई गंभीर बीमारी नहीं पायी गयी है और मात्र ओ.पी.डी. में मेडिटेशन के द्वारा उसके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना दर्शित की गयी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अंतरिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजकुमार उर्फ पप्पू पुत्र हेमाराम जाट** की ओर से प्रस्तुत यह अंतरिम जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

86-Dhanraj Jajoria /-